UPGB010070172026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-6, गौतमबुद्धनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2916/2026

आसिफ उर्फ पाटू पुत्र मौ० याकूब, निवासी-मकान नं.-7 मौ० खिस्तैयार, नियर बनिया पाडा चौकी, कोतवाली मेरठ, जनपद मेरेठ।

बनाम

उ०प्र० सरकार

मु०अ०सं०-336/2024
अं०धारा-317(2),317(4),317(5),112(2),336(2) बी.एन.एस.
थाना-सैक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।

30.07.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **आसिफ उर्फ पाटू पुत्र मौ० याकूब** की ओर से मु०अ०सं०-**336/2024**, अंतर्गत धारा-**317(2),317(4),317(5), 112(2),336(2) बी.एन.एस.,** थाना **सैक्टर-24**, जिला गौतमबुद्धनगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र व शपथपत्र में उल्लेख है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है एवं किसी अन्य न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी / अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है।प्रार्थी / अभियुक्त पर उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में प्रदत्त जमानत पर है तथा प्रार्थी / अभियुक्त के जमानत के रिहा होने के बाद लगातार व्यक्तिगत रूप से एंव अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर अदातल आ रहा था, परंतु दिनांक 17.02.2026 से पूर्व ही प्रार्थी/अभियुक्त बीमार हो गया था, जिस कारण प्रार्थी / अभियुक्त नियत तिथियों पर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नही हो पाया था, जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिये। प्रार्थी/अभियुक्त ने जानबूझकर माननीय न्यायालय आने मे कोई गलती व लापरवाही नही की है, जो भी गलती व लापरवाही हुई है वह प्रार्थी/अभियुक्त के बीमार हो जाने के कारण हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में कई माह से एक अन्य मामलें में तिहाड जेल दिल्ली में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त को जरिये बी०सी० प्रस्तुत मामले में दिनांक 08.07.2026 को माननीय न्यायालय के द्वारा

"Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in"

Digitally signed by Ashish Kumar Chaurasia
Date: 2026.07.30 16:40:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तलब किया गया है तथा प्रार्थी / अभियुक्त दिनांक 08.07.2026 से ही जरिये बी०सी० से न्यायालय में तलब होकर पत्रावली पर हाजिर है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा जानबूझकर माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना नही की गयी है। प्रार्थी / अभियुक्त भविष्य में नियत तिथियों पर समय से उपस्थित रहेगा तथा सुनवाई में किसी भी प्रकार की कोई देरी नही करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने एवं गवाहन सबूत नष्ट करने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार हैं।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त दिनांक 08.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी / अभियुक्त के जमानत के रिहा होने के बाद लगातार व्यक्तिगत रूप से एंव अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर अदातल आ रहा था, पंरतु दिनांक 17.02.2026 से पूर्व ही प्रार्थी/अभियुक्त बीमार हो गया था, जिस कारण प्रार्थी / अभियुक्त नियत तिथियों पर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नही हो पाया था, जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिये।प्रार्थी /अभियुक्त भविष्य में नियत तिथि पर उपस्थित आता रहेगा

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त दिनांक 08.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का कथन है कि वह विचारण में सहयोग करेगा तथा भविष्य में बराबर न्यायालय उपस्थित आता रहेगा। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का युक्तियुक्त आधार पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रस्तुत मामले में प्रार्थी / अभियुक्त **आसिफ उर्फ पाटू पुत्र मौ० याकूब** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को 50,000/- रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये व इस आशय की अण्डरटेकिंग के साथ कि अभियुक्त अब विचारण के दौरान अनुपस्थित नहीं होगा, स्वयं अथवा जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर सहयोग करेगा।

दिनांक-30.07.2026

(आशीष कुमार चौरसिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-6,
गौतमबुद्धनगर।
जे०ओ० कोड- यू०पी०-6360

“Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in”